अधिवक्ता श्री ब्रजराज गुर्जर द्वारा आरोपी हरिओम की ओर से उपस्थिति पत्रक एवं आरोपी रामशरण की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत कर एक शीघ्र सुनवाई आवेदन पेशकर प्रकरण आज पेशी में लिए जाने का निवेदन किया, निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

इसी प्रास्थिति पर अभिलेखागार से आपराधिक प्रकरण क्रमांक 705/06 रेवती बाई विरूद्ध हरिओम एवं अन्य का मूल अभिलेख प्राप्त।

इसी प्रास्थिति पर आरोपी रामशरण सहित श्री ब्रजराज गुर्जर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 44 "2" दप्रस प्रस्तुत कर रामशरण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया। मूल अभिलेख के अवलोकन से आरोपी रामशरण पुत्र रामिकशोर उर्फ शेरसिंह प्रकरण में वांछित होना दर्शित होता है इसलिए उसका आवेदन स्वीकार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी रामशरण को जेल वारंट के माध्यम से उपजेल गोहद प्रेषित किया जावे।

परिवादी रेवतीबाई सहित श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित। उनके द्वारा रेवती बाई की ओर से उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया गया।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी रेवती बाई पत्नी हिरिओम पुत्री श्री किलेदार शर्मा निवासी ग्राम मछिरया थाना मिहोना जिला भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पित हिरिओम, जेठ रामशरण एवं मृत सास आरोपी कृष्णा पर आरोपित धारा 406 सहपिठत धारा 120 बी भादस0 के अभियोग के शमन अनुमित संबंधी आवेदन अंतर्गत धारा 320—2 दप्रस प्रस्तुत किया। फरियादी रेवती आरोपित धारा 406 भादस0 का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार हैं। उनकी पहचान श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की गयी है।

राजीनामा पर फरियादी रेवती को सुना गया। उसके द्वारा स्वेच्छा बिना किसी भय, दबाव अथवा प्रलोभन

के आरोपीगण पति हरिओम, जेठ रामशरण एवं मृत सास आरोपी कृष्णा के विरूद्ध अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया। उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि अब उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं हैं। वह विगत 7–8 वर्ष से पति, जेट एवं सास के साथ सुखपूर्वक ससुराल में निवास कर रही है। आरोपीगण में से उसकी सास कृष्णा की मृत्यू लगभग डेढ वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसी प्रास्थिति पर उभयपक्ष की ओर से हस्ताक्षरित एवं फरियादी रेवती के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं हैं। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसी दशा में फरियादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे धारा 406 भादस0 के अपराध की आरोपीगण के पक्ष में शमन करने की अनुमति दी गयी और शमन स्वीकार किया गया। तद्नुसार आरोपी हरिओम एवं रामशरण को भा.द.स. की धारा 406 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

प्रकरण में धारा 120 बी भा.द.स. के अंतर्गत भी अपराध का संज्ञान लिया गया है। ऐसी दशा में प्रकरण कुछ समय पश्चात् आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो।

जेएमएफसी गोहद

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत।

फरियादी रेवती अ०सा० 1 की आरोप पूर्व साक्ष्य अंकित की गयी। परिवादी अधिवक्ता ने उनकी आरोप पूर्व साक्ष्य समाप्त घोषित की।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् आरोप तर्क हेतु प्रस्तुत हो।

जेएमएफसी गोहद

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत। प्रकरण अभी आरोप तर्क हेतु नियत है। परिवाद पत्र, आरोप पूर्व साक्ष्य एवं परिवादी रेवती के कथन अंतर्गत धारा 200 दप्रस के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 120 बी भादस0 का आरोप विरचित किए जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं। फलतः आरोपीगण को धारा 120 बी भादस0 के आरोप से उन्मोचित किया गया।

उभयपक्ष की ओर से सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत बोहारा जनपद पंचायत रौन जिला भिण्ड द्वारा जारी प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी कृष्णा पत्नी रामिकशोर निवासी ग्राम मछिरया का दिनांक 27.02.16 को निधन हो चुका है। फिरयादी रेवती अ०सा० 1 ने उसके आरोप पूर्व साक्ष्य में भी उसकी सास आरोपी कृष्णा का आज से डेढ वर्ष पूर्व निधन हो जाने का तथ्य दर्शित किया है जिससे यह प्रकट होता है कि आरोपी कृष्णा की प्रकरण के लंबनकाल में मृत्यु हो चुकी है। ऐसी दशा में उसके विरूद्ध अपराध का उपशमन हो चुका है। फलतः आरोपी कृष्णा की के विरूद्ध भी प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गयी।

आरोपी रामशरण एवं आरोपी कृष्णा से संबंधित स्थाई वारंट थाना गोहद से अदम तामील वापस बुलाए जाए और अभिलेख में संलग्न किए जाए।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्जकर अभिलेख व्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी.. गोहद